कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

सन्दर्भ सं0– 1204/O.A. 201/2022 दिनांक– 14.12.2022

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the Order issued on dated 25.08.2022 & 15.11.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A. No. 201/2022 201/2022 Daljeet Singh Vs. State of Uttar Pradesh.

Sir,

With respect to the subject mentioned above. Kindly find eclosed herewith the action taken report in compliance of the order issued on dated 25.08.2022 & 15.11.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A. No. 201/2022 201/2022 Daljeet Singh Vs. State of Uttar Pradesh.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

(Akhilesh Singh)
District Magistrate

DM AEE

Sr. No.	Direction issued to M/s Star Mines, Gata No. 01, Yamuna River, Village Bartha Korsi, Tehsil Behat, District Saharanpur in compliance of O.A. No. 201/2022 Daljeet Singh V/s State of UP and Ors. order datd 25th Aug. 2022, regarding Joint Commettiee Recommendations.	Compliance
1.	Principal Secretary, Mining and Geology Department, Govt. of UP and Mining Department, Saharanpur should ensure that mining activity should be carried out as per mining plan and as per condition stipulated in EC. Regular surprise vigilance is required by the District Administration, Saharanpur and Mining Department.	As per joint inspection report of SDM Behat, Saharanpur & Mining officer, Saharanpur, dated 29.10.2022, 15.11.2022, 09.12.2022 Mining is operated as per mining plan and EC conditions. **(Annexure-1)** Site inspection report dated 10.06.2022 has been submitted by the Joint Commettiee constituted under the direction of Directorate of Mining and Geology. On the basis of report Rs. 6,89,920/- only penalty has been imposed on PP for excavation of 212 M3 RBM (River Bed Material) beyond the permitted area. **(Annexure-2)**
2.	Proper pillar marking in mining area as per geo-coordinates mentioned in EC should be installed. Mining Department, Saharanpur should ensure marking in mining area.	Demarcation and proper piller marking of mining area has been done by the Revenue Department & Mining Departmnet on dated 20.10.2022 in presence of the PP. **(Annexure-3)**
3.	PP should be directed to obtain NOC from CGWA/SGWA for withdrawal of ground water. PP should also install electromagnetic flow meter at tubewells and maintain proper log book of fresh water withdrawal.	PP has obtain NOC from SGWA wide letter dated 23.07.2022. logbook and install Electromagnetic flow meter on submersible pump installed in allotted mining area. The PP has instructed to maintain proper Log-Book of fresh water withdrawal. **(Annexure-4)**
4.	The PP should provide adequate stack height in DG sets.	Adequate stack with 3.5 meter height from ground lever is provided on D.G. set having capacity 25 KVA. **(Annexure-5)**
5.	The PP should provide green belt in mining area.	There are 716 Plants planted surrounding the approach road and near by the office. The plantation work by the Miyawaki Method on the land having the size 50 meter x 20 meter is under progress. **(Annexure-6)**
6.	Necessary direction should be issued by UPPCB to PP for ensuring compliance of EC condition and Consent conditions in totality.	1. UPPCB has issued direction under section 31(A) of Air (Pollution Prevention and Control) Act. 1981 as ammended. **(Annexure-7)** 2. The PP has setup air ambient monitoring station on the roof of

DM AEE

		office. The air monitoring sampler is in operation at the time of inspection. **(Annexure-5)** 3. The PP has setup PTZ Cameras on appropriate height near by the office. **(Annexure-5)** 4. Water tanker is available on site for sprinkling of water for dust suppression.
7.	UPPCB should ensure compliance of Hon'ble NGT order dated 10.05.2022 in the matter of Appeal No. 15/2021(1.A. No. 119/2021 & I. A. No. 120/2021)-Pramod Vs State of Uttar Pradesh & Ors. SPCB should also ensure compliance of recommendation of joint committee report in the above said matter.	In compliance of Hon'ble NGT order dated 10.05.2022 in the matter of Appeal No. 15/2021(1.A. No. 119/2021 & I. A. No. 120/2021)-Pramod Vs State of Uttar Pradesh & Ors. UPPCB has imposed revised Environmental Compensasion of Rs. 22,10,01,716/- Only (Twenty Crore Ten Lakh, One thousand, Seven hundred Sisteen only) on the PP. **(Annexure-8)**

MO

RO
UPPCB

ADM FR

DM AEE

ANNEX – I

संयुक्त निरीक्षण आख्या

अवगत कराना है कि मैसर्स स्टार माईन्स के पक्ष में जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम बरथाकोरसी के खसरा नं0 1 रकबा 36.00है0 में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में की निकासी हेतु दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 तक 05 वर्षीय खनन पटटा स्वीकृत है। उक्त खनन पटटे का राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि:–

1. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य माईनिंग प्लान एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन होता हुआ पाया गया।
2. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य से निर्मित गढ्ढों की पैमाईश करने पर पाया गया कि खनन कार्य से निर्मित गढ्ढे सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि खनन कार्य स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जा रहा है।
3. खनन पटटे की ऑनलाईन आई0डी0 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खनन पटटे से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 08.12.2022 तक कुल 2,39,757 घनमीटर उपखनिज का खनन/परिवहन किया गया है।
4. ग्राम बरथाकोरसी में स्वीकृत उपरोक्त खनन पट्टे के निरीक्षण के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया तथा सभी सीमास्तम्भ सही जगह में पाये गए।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/12/22
खान अधिकारी
सहारनपुर

9/12/22
उपजिलाधिकारी
बेहट

संयुक्त निरीक्षण आख्या

अवगत कराना है कि मैसर्स स्टार माईन्स के पक्ष में जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम बरथाकोरसी के खसरा नं0 1 रकबा 36.00है0 में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में की निकासी हेतु दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 तक 05 वर्षीय खनन पटटा स्वीकृत है। उक्त खनन पटटे का राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि:–

1. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य माईनिंग प्लान एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन होता हुआ पाया गया।
2. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य से निर्मित गढ्ढों की पैमाईश करने पर पाया गया कि खनन कार्य से निर्मित गढ्ढे सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि खनन कार्य स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जा रहा है।
3. खनन पटटे की ऑनलाईन आई0डी0 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खनन पटटे से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 29.10.2022 तक कुल 2,470 घनमीटर उपखनिज का खनन/परिवहन किया गया है।
4. पटटाधारक के प्रतिनिधि को वेट–ब्रिज के पास और अधिक जल छिडकाव हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29/10/22
खान अधिकारी
सहारनपुर

29/x/22
उपजिलाधिकारी
बेहट

संयुक्त निरीक्षण आख्या

अवगत कराना है कि मैसर्स स्टार माईन्स के पक्ष में जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम बरथाकोरसी के खसरा नं0 1 रकबा 36.00है0 में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में की निकासी हेतु दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 तक 05 वर्षीय खनन पटटा स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टे का राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.11.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि:–

1. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य माईनिंग प्लान एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन होता हुआ पाया गया।
2. खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य से निर्मित गढ्ढों की पैमाईश करने पर पाया गया कि खनन कार्य से निर्मित गढ्ढे सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि खनन कार्य स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जा रहा है।
3. खनन पटटे की ऑनलाईन आई0डी0 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खनन पटटे से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 15.11.2022 तक कुल 98,730 घनमीटर उपखनिज का खनन/परिवहन किया गया है।
4. ग्राम बरथाकोरसी में स्वीकृत उपरोक्त खनन पट्टे के निरीक्षण के दौरान सभी सीमास्तम्भ सही जगह में पाये गए।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/11/22
खान अधिकारी
सहारनपुर

15/11/22
उपजिलाधिकारी
बेहट

ANNEX-2

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः– 269/अवैध खनन/2022–23 दिनांक 18 जून, 2022

आदेश

मै0 स्टार माईन्स
पार्टनर श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री वेदपाल चौधरी
पता सी–3, हकीकत नगर निकट
ओल्ड सेल्स टैक्स ऑफिस
सहारनपुर।

कृपया निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 447/एम0–प्रवर्तन सहारनपुर/2022 दिनांक 10.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.06.2022 को निदेशालय स्तर से गठित टीम द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे की जांच कर आख्या उपलब्ध करायी गई, जिसके अनुसार आपके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर 212 घनमीटर आर0बी0एम0 का अवैध खनन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3, 58, 60(2) का उल्लघंन एवं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के अर्न्तगत संज्ञेय एवं दण्डणीय अपराध है, साथ ही अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों का उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा 212 घनमीटर आर0बी0एम0 का अवैध खनन किये जाने हेतु रायल्टी रू0 23,320/–, खनिमुख मुल्य रू0 1,16,600/–, अर्थदण्ड रू0 5,00,000/– तथा शास्ति रू0 50,000/– कुल धनराशि रू0 6,89,920/– (रूपये छः लाख नवासी हजार नौ सौ बीस मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक "0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्व भूराजस्व की भांति नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– 1. तहसीलदार सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को तामिल कराते हुए तामिला आख्या कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Uttar PradeshTreasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: **AKV220013335**	Challan Date:**01/07/2022**
Assessment Year:**2022-2023**	Tax Period: **ONETIME**
Name of the Bank:	***State Bank of India***
Unique Id:	
Depositor Name:	**MS Star Mines**
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	689920.00
	Totals of the above heads	--	689920.00

A SUM OF Rs. 689920.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON ***State Bank of India*** HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositer Remarks->Notice Payment against Notice No 269 Lease Bartha Korsi)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABURKUN6, Scroll Date:-02/07/2022

प्रेषक,

भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0
क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

सेवा मे,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उ0प्र0, खनिज भवन,
लखनऊ

पत्रांक मेमो/क्षे0का0गा0/2022–23 दिनांक 10/06/2022

महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक/प्रभारी अपर निदेशक, खनन महोदय द्वारा दिनांक 06.06.2022 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी, श्री अनन्त कुमार सिंह ज्येष्ठ खान अधिकारी मुख्यालय लखनऊ, श्री जी0के0 दत्ता खान अधिकारी मुख्यालय लखनऊ, श्री दिनेश कुमार सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा श्री नवीन कुमार दास खान अधिकारी सहारनपुर/संयुक्त निदेशक, मो0 एजाज़ खान निरीक्षक, श्री शिव कुमार सर्वेक्षक खनन विभाग सहारनपुर तथा पटटेधारक प्रतिनिधि श्री वेदपाल चौधरी की उपस्थिति में दिनांक 08.06.2022 को मैसर्स स्टार माइन्स पता सी–3, हकीकत नगर निकट ओल्ड सेल्स टेक्स आफिस, सहारनपुर के पक्ष में दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि हेतु तहसील बेहट स्थित ग्राम बरथाकोरसी के गाटा संख्या 01 रकबा 36.00 हे0 में उपखनिज आर0बी0एम0 (बालू/बजरी/बोल्डर) के खनन हेतु स्वीकृत खनन पटटे की आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को किये गये निरीक्षण के उपरान्त प्रेषित निरीक्षण आख्या में उल्लिखित तथ्यों की जांच की गई। दिनांक 08.06.2022 को की गयी बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

स्थलीय जाँच आख्या

1. ग्राम बरथाकोरसी में स्वीकृत खनन पटटे में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु अनेक बार जिला प्रशासन को दूरभाष के माध्यम से एवं व्हाटस् एप के माध्यम से प्रेषित किया गया परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई। इस सम्बन्ध में खान अधिकारी सहारनपुर/संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डलायुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को ग्राम असलमपुर बरथा और बरथाकोरसी में यमुना नदी के क्षेत्र में अवैध खनन की जांच कर आख्या प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुपालन में दिनांक 22.03.2022 को ही खान निरीक्षक सहारनपुर द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा अवैध खनन के विरूद्ध थाना बेहट में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आख्या दिनांक 23.03.2022 को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** इसी प्रकार आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 2674/पी0ए0 दिनांक 11.01.2022 द्वारा हरियाणा राज्य के जनपद यमुनानगर में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन कर उत्तर प्रदेश की सीमा में लाये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी जांच करवाकर जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 861/ख0अनु0संदर्भ/2020–21 दिनांक 14.01.2022 द्वारा आख्या मण्डलायुक्त महोदय को प्रेषित की गई।
2. आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को ग्राम बरथाकोरसी में स्वीकृत खनन पटटे की जांच के दौरान काफी संख्या में ओवरलोड डम्पर/बिना नम्बर/ग्रीस पोती हुई नम्बर प्लेट युक्त गाडियों के पाये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 11 गाडियों को आर0टी0ओ0 द्वारा निरूद्ध किया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा बताया

कॉर्डिनेटस को गुगल अर्थ पर प्लॉट करने पर पाया गया कि चारो पिटस स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसकी पैमाईश निम्नवत् है:-

पिट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	औसत गहराई (मीटर में)	किये गये खनन कार्य की मात्रा (घनमीटर में)
1	111586	2.75	306861
2	50117	2.60	130304
3	30471	2.50	76177
4	23213	2.10	48747
		कुल	562089

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्षाकाल के उपरान्त माह अक्टूबर, 2021 से निरीक्षण की दिनांक 08.06.2022 तक पटटेधारक द्वारा कुल 562089 घनमीटर आर0बी0एम0 का खनन/परिवहन किया गया है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बरथाकोरसी क्षेत्र में श्री दीपक चौधरी के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत खनन पटटे जिसका क्षेत्रफल 36.00हे0 है के पटटा विलेख एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के अनुसार इस पटटे से प्रतिवर्श 7,56,000 घनमीटर उपखनिज के खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है। पटटेधारक द्वारा दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक 7,56,000 घनमीटर उपखनिज का खनन किया गया तथा वर्शाकाल के उपरान्त अक्टूबर 2021 से दिनांक 08.06.2022 तक 5,61,101 घनमीटर उपखनिज का खनन/परिवहन किया गया है। इसी सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि पटटे धारक द्वारा पिट संख्या–2 की पूर्व दिशा में पटटे से सटे हुए 106 वर्गमीटर में औसत 02 मी0 गहराई से 212 घनमीटर क्षेत्र के बाहर खनन होना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

6. आयुक्त महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पटटेधारक द्वारा स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं खनन पटटा विलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर पर्यावरण को क्षति पहुँचायी जा रही है। इस सम्बन्ध में जांच दल द्वारा खनन पटटा क्षेत्र का सघन भ्रमण कर अध्ययन किया गया, जिसके उपरान्त पटटेधारक द्वारा स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं खनन पटटा विलेख में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:–

क – पट्टा विलेख के अनुसार स्वीकृत खनन क्षेत्र के सीमा स्तम्भो के जियो–कॉर्डिनेटस् निम्नवत् है:–

Name of Pillars	Latitude	Longitude
A	30° 14' 00.94"	77° 31' 13.91"
B	30° 14' 16.50"	77° 31' 24.43"
C	30° 14' 13.69"	77° 31' 31.19"
D	30° 14' 19.59"	77° 31' 37.85"
E	30° 14' 37.10"	77° 31' 40.80"
F	30° 14' 39.19"	77° 31' 36.25"
G	30° 14' 26.08"	77° 31' 29.05"
H	30° 14' 09.19"	77° 31' 02.18"

निरीक्षण के दौरान सर्वेक्षक श्री शिव कुमार एवं श्री दिनेश कुमार खनन पटटा क्षेत्र में स्थापित समस्त सीमा स्तम्भों की जांच की गई एवं जी0पी0एस0 की सहायता से जियों–कॉर्डिनेटस् की भी जांच की गई, जिसके अनुसार दिनांक 08.06.2022 को खनन

गया कि दिनाक 30.05.2022 से क्षेत्र मे खनन कार्य बन्द है। आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को किये गये निरीक्षण के उपरान्त पट्टाधारक प्रतिनिधि के कथनानुसार दिनांक 30.05.2022 से उपरोक्त खनन पट्टा बन्द है तथा दिनाक 08.06.2022 को किये गये निरीक्षण के दौरान भी खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य बन्द पाया गया। अतः खनन पट्टा क्षेत्र मे जांच दल द्वारा ओवरलोड डम्पर/बिना नम्बर/ग्रीस पोती हुई नम्बर प्लेट युक्त गाडियों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नही है।

3. आयुक्त महोदय द्वारा मैसर्स स्टार माईन्स ग्राम बरथाकोरसी पर उनके पहुँचने पर खडे ट्रक व डम्पर चालकों को अपने अपने वाहन लेकर भागने तथा 300–400 लोगों के क्षेत्र में उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा इन लोगों में से कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के संगठित रूप से अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पटटेधारक द्वारा खनन कार्य हेतु सम्बद्ध किये गये श्रमिकों की कोई आई0डी0 युक्त पहचान पत्र अथवा रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया तथा उनके द्वारा समस्त सम्बद्ध श्रमिकों का विवरण खनन पटटा क्षेत्र में प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि खनन पटटा क्षेत्र में विभिन्न मशीनों के संचालन, खनन कार्य करने, उपखनिजों की लोंडिग करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्य तथा ट्रकों के चालक एवं क्लीनर भी उपस्थित रहते हैं तथा क्षेत्र में जब भी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो काफी मात्रा में सरकारी वाहनों को देखकर अनेक स्थानीय लोग भी एकत्र हो जाते हैं परन्तु आयुक्त महोदय द्वारा उल्लिखित यह प्रस्ताव सराहनीय है कि पटटेधारक द्वारा खनन कार्य में सम्बद्ध किये गये श्रमिकों का पहचान पत्र बनवाकर आई0डी0 सहित बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। इस सम्बन्ध में पटटेधारकों को निर्देशित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

4. आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान अनेक बार बुलाये जाने पर भी खान अधिकारी सहारनपुर/संयुक्त निदेशक महोदय के उपस्थित न होने के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 25.05.2022 को वह अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहारनपुर के साथ नकुड़ क्षेत्र में जांच कार्य में गये हुये थें। जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)** आयुक्त महोदय द्वारा ग्राम बरथाकोरसी क्षेत्र में निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही उन्होनें खान निरीक्षक को तत्काल क्षेत्र में प्रस्थान करने हेतु निर्देशित किया गया तथा स्वयं भी कार्यालय से बरथाकोरसी की मूल पत्रावली लेकर तत्काल ग्राम बरथाकोरसी क्षेत्र के लिए चल दिये परन्तु उनके बरथाकोरसी क्षेत्र में पहुँचने से पहले ही आयुक्त महोदय का निरीक्षण सम्पन्न हो चुका था तथा वह आयुक्त महोदय से रास्ते में मिले जहां पर आयुक्त महोदय द्वारा उन्हें ग्राम बरथाकोरसी खनन पटटे का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में खान अधिकारी सहारनपुर/संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनाक 25.05.2022 को ही खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाधिकारी एंव आयुक्त महोदय को आख्या प्रेषित की गई।

5. आयुक्त महोदय द्वारा खनन पटटे के चारों ओर यमुना नदी में 06–07 पोकलेन मशीनों एवं जे0सी0बी0 के द्वारा 20–25 फीट तक की खुदाई किये जाने एवं यमुना नदी के बहाव को रोककर अवैध रूप से काफी गहरा खनन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान पटटाधारक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.05.2022 से क्षेत्र में खनन कार्य बन्द है। दिनांक 08.06.2022 को किये गये निरीक्षण के दौरान यमुना नदी के बहाव को रोककर खनन कार्य किये जाने के कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं हुए। क्षेत्र में सर्वेक्षक श्री शिव कुमार एवं श्री दिनेश कुमार द्वारा लेवलिंग स्टाफ की सहायता से क्षेत्र में खनन फलस्वरूप बने हुए गढढों में खनन की गहराई की पैमाईश की गयी, जिसके अनुसार पटटाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में किये गये खनन कार्य के फलस्वरूप बने चार गढढें (पिटस) पाये गये, जिनकी विभिन्न स्थानों पर गहराई गापी गयी, जो न्यूनतम 01 मी0 तथा अधिकतम 3.4 मी0 पायी गई। उक्त चारों गढढों के जियो

पट्टा क्षेत्र में समस्त सीमा स्तम्भ स्थापित पाये गये तथा उनके जियो-कॉर्डिनेटस भी सही पाये गए।

ख – पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भारी मात्रा मे अवैध खनन/परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2022 को किये गये निरीक्षण के दौरान सर्वेक्षक श्री शिव कुमार एवं श्री दिनेश कुमार द्वारा जी0पी0एस0 के माध्यम से की गई पैमाईश के अनुसार पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण की दिनांक को स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में ही किया जाना पाया गया है। पटटेधारक द्वारा यमुना नदी की मुख्य धारा में खनन किये जाने के कोई चिन्ह परिलक्षित नही है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में यमुना नदी की मुख्य धारा सामान्य रूप से प्रवाहित होते हुये पायी गई।

ग – पट्टेधारक द्वारा नदी की मुख्य धारा के दोनों ओर नदी तल में 800–800 मी0 चौडाई मे खनन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गुगल अर्थ पर उपलब्ध सैटलाईट इमेज के अनुसार खनन पट्टा यमुना नदी के दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम में स्वीकृत है तथा नदी तल के दक्षिण-पूर्व में नदी तल की अधिकतम चौड़ाई लगभग 250 मीटर तथा उत्तर-पश्चिम में अधिकतम चौडाई लगभग 400 मीटर ही है।

घ – कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पट्टेधारक द्वारा रॉयल्टी के मद में प्रति माह देय धनराशि रू0 1,14,00,000/-(रूपये एक करोड़ चौदह लाख मात्र) नियमित रूप से राजकोष मे जमा करवायी जा रही है। दिनांक 25.05.2022 से खनन पट्टा बन्द होने के कारण पट्टेधारक द्वारा अभी तक माह मई, 2022 की देय किश्त का भुगतान नही किया गया है।

ङ – पट्टा क्षेत्र के ई-एम0एम0-11 निर्गत किये जाने वाले स्थल पर एक पी0टी0जेड कैमरा तथा 22 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे हुए पाये गए, जो कार्य करते हुए पाये गए।

च – पट्टेधारक द्वारा क्षेत्र में वाटर स्प्रींकलर स्थापित नही किये गये है परन्तु उसके द्वारा अवगत कराया गया कि वह वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाटर टैंकरों के माध्यम से लगातार पानी का छिड़काव कराता रहता है।

छ – निरीक्षण की तिथि को पट्टेधारक द्वारा नदी की जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर मशीन द्वारा खनन कार्य किये जाने के कोई भी चिन्ह परिलक्षित नहीं हुए।

ज – पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र में हरित पट्टी का निर्माण नही किया गया है परन्तु उसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसने क्षेत्र में विगत वर्ष लगभग 2000 वृक्ष लगाये गए। ई-एम0एम0-11 निर्गत किये जाने वाले स्थल के समीप कुछ वृक्ष लगे हुए भी पाये गए।

झ – पट्टेधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में Top Soil सुरक्षित नही रखी जा रही है।

ञ – पट्टेधारक द्वारा श्रमिकों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सा पेटी उपलब्ध करायी गयी है।

ट – संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टेधारक एवं कार्यालय द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की त्रैमासिक अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

ठ – निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में खनन कार्य बन्द होने के कारण पट्टेधारक द्वारा उपखनिजो का परिवहन त्रिपाल/प्लास्टिक कवर से ढके एवं माईन्स टैग लगे हुए वाहनों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है।

ड – निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में खनन कार्य बन्द होने के कारण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य से ध्वनि प्रदूषण होने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नही है।

ण – पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि उसके द्वारा श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास एवं स्वच्छ जल व शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है परन्तु उसके द्वारा अभी श्रमिकों जूता हेलमेट आदि उपलब्ध नही कराया गया है।

त – पट्टेधारक द्वारा अभी तक श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा न कराये जाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

थ – पट्टेधारक द्वारा नदी की मुख्य धारा के दोनो किनारो पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए पूर्व दिशा में 03 से 05 मीटर छोडकर खनन कार्य किया गया है।

ध – पट्टेधारक द्वारा ई–एम0एम0–11 निर्गत किये जाने वाले स्थल पर खनन पट्टे का विवरण एवं विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया गया हैं।

निष्कर्षः– निदेशालय द्वारा गठित जांच दल द्वारा ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर में स्वीकृत खनन पट्टे की दिनांक 08.06.2022 को की गयी जांच के अनुसारः–

1. निरीक्षण के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया।
2. सर्वेक्षक श्री दिनेश कुमार व श्री शिवकुमार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एवं पट्टेधारक द्वारा क्षेत्र में किये गये खनन कार्य से बने हुये गढ्ढों की पैमाईश जी0पी0एस0 की सहायता से 63 स्थानों पर आकड़े एकत्र कर गूगल अर्थ पर उपलब्ध सैटेलाइट इमेज पर प्लाट किया गया जिसके अनुसार पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण की तिथि तक स्वीकृत क्षेत्र में ही न्यूनतम 1 मीटर तथा अधिकतम 3.4 मीटर तक गहराई खनन कार्य किया गया है। उसके द्वारा पिट संख्या–2 की पूर्व दिशा में पट्टे से सटे हुए 106 वर्गमीटर में औसत 02 मी0 गहराई से 212 घनमीटर क्षेत्र के बाहर खनन होना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।
3. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के अनुसार इस पट्टे से प्रतिवर्ष 7,56,000 घनमीटर उपखनिज के खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है। पट्टेधारक द्वारा दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक 7,56,000 घनमीटर उपखनिज का खनन किया गया तथा वर्षाकाल के उपरान्त अक्टूबर 2021 से दिनांक 08.06.2022 तक 5,61,101 घनमीटर उपखनिज का खनन/परिवहन किया गया है।
4. निरीक्षण के दौरान नदी की मुख्य जलधारा में खनन कार्य होता हुआ नही पाया गया तथा क्षेत्र में यमुना नदी सामान्य रूप से प्रवाहित होते हुए पायी गयी।
5. ग्राम बरथाकोरसी में स्वीकृत उपरोक्त खनन पट्टे के निरीक्षण के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी तथा खनन पट्टा क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनन योग्य उपखनिज उपलब्ध पाया गया। अतः राजस्वहित एवं जनहित में उपरोक्त खनन पट्टे को नियमानुसार संचालित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

10/06/2022
(दिनेश कुमार)
सर्वेक्षक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
गाजियाबाद

10/06/22
(जी0के0 दत्ता)
खान अधिकारी,
मुख्यालय,लखनऊ

10/06/2022
(अनन्त कुमार सिंह)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
मुख्यालय,लखनऊ

Saxena
10.6.2022
(राघवेन्द्र सक्सेना)
भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

ANNEX-3

संयुक्त सीमांकन आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर (खनन अनुभाग) के पत्र संख्या–898/ख0अनु0/सीमांकन दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में मैसर्स स्टार माइन्स पता सी–3, हकीकत नगर निकट ओल्ड सेल्स टेक्स आफिस, सहारनपुर उ0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र तहसील बेहट ग्राम बरथा कोरसी के गाटा सं0–1 रकबा–36.00है0 (यमुना नदी) का सीमांकन पटटाधारक की उपस्थिति में खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 20.10.2022 को ग्राम बरथा कोरसी का सीमांकन जियो कोर्डिनेटस के अनुसार किया गया। मौके पर उपस्थित पट्टाधारक को सीमांकित क्षेत्र के चिन्हिंकित सीमास्तम्भ बिन्दुओ पर सीमास्तम्भ लगाकर 07 दिनों के अन्दर लिखित रूप में जिलाधिकारी कार्यालय, खनन अनुभाग को सूचित करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र के सीमास्तम्भों के कोर्डिनेटस निम्न प्रकार हैं:–

Name of Pillars	Latitude	Longitude
A	30^0 14' 00.94''	77^0 31' 13.91''
B	30^0 14' 16.50''	77^0 31' 24.43''
C	30^0 14' 13.69''	77^0 31' 31.19''
D	30^0 14' 19.59''	77^0 31' 37.85''
E	30^0 14' 37.10''	77^0 31' 40.80''
F	30^0 14' 39.19''	77^0 31' 36.25''
G	30^0 14' 26.08''	77^0 31' 29.05''
H	30^0 14' 09.19''	77^0 31' 02.18''

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह पुण्डीर)
लेखपाल ग्राम बरथा कोरसी
सहारनपुर।

(शिव कुमार)
सर्वेक्षक
सहारनपुर।

खान अधिकारी
सहारनपुर।

तहसीलदार
बेहट

उपजिलाधिकारी
बेहट।

सीमाबन्धन से सहमत

हस्ताक्षर पट्टाधारक
दीपक चौधरी

ANNEX-4

GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC037075

VALID FROM 21/07/2022 TO 20/07/2027

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202206000233

Name of the Owner	SHRIDEEPAK CHAUDHARI		
Designation पद	Authorized Signatory	**Company Name कंपनी का नाम**	STAR MINES
Company Address कंपनी का पता	GATA NO.1, VILL-BARTHA KORSI, TEHSIL BEHAT SAHARAN	**Authorization Letter प्राधिकार पत्र**	Download
Address of the Applicant	gata no 01, bartha korsi, behat, saharanpur	**Application Form Serial No.**	SRNP0622NIN0065
Date of Submission	06/06/2022	**Specimen Signature**	

Location Particulars

District	Saharanpur	**Block**	SADHULI KADEEM
Plot No./Khasra No.	GATA NO.1, VILL-BARTHA KORSI	**Municipality/Corporation**	No
Ward No./Holding No.			TEHSIL BEHAT SAHARANPUR U.P.

Particular of the Proposed Well and Pumping Device

Date of Construction/Sinking of the Well	30/07/2022		
Type of Well	Tube Well/Boring	**Depth of the Well (In meter)**	36.00
Purpose of well	Industrial	**Assembly Size(For Tube Well)**	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	**H.P. of the Pump**	1.00

Operational Device	Electric Motor	**Rate of Withdrawal (m^3/hr.)**	6.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		30/07/2022	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m^3/hr.):	6.00	**Maximum Allowable Running Hours Per Day:**	3.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			4050.00

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

GENERAL CONDITIONS:

- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis
- **<u>Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring</u>**

  Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

  - The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
  - The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
  - No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

  - The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
  - For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.

- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.

- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
-
- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
- i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
- ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
- iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m^3/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC) certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
- iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m^3 /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
- i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
- ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m^3 /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**23/07/2022**

Place:**Saharanpur**

This certificate is electronically generated and does not require digital signature

ANNEX-5

Photographs of M/s Star Mines, Gata No.-01, Yamuna River, Village Bartha Korsi, Tehsil Behat, District Saharanpur.

D.G. set

Air Ambient monitoring

Electro magnetic Water flow meter

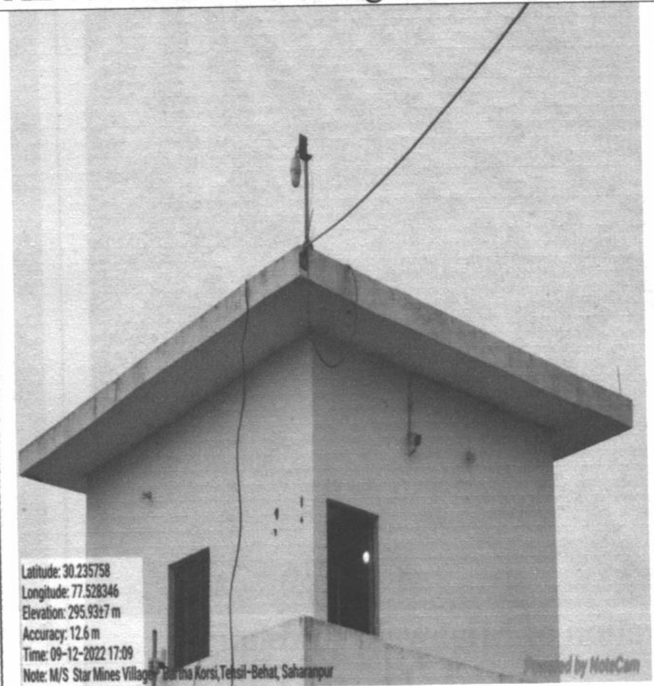

PTZ camera

ANNEX-6

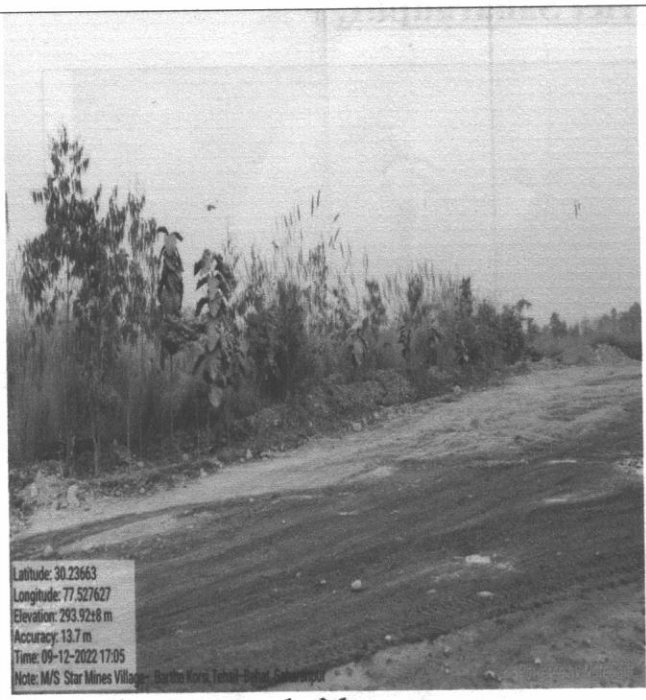

Plantation on road side

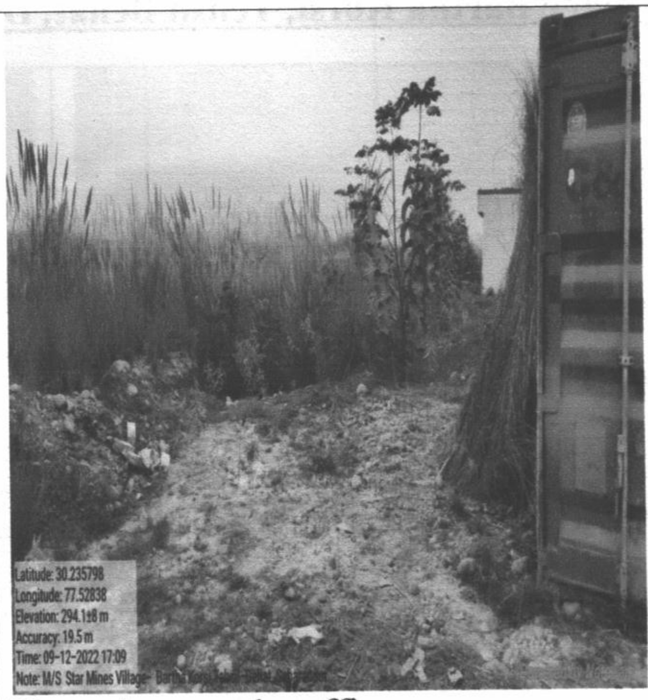

Plantation near by office

Prepration of Miyawaki forestation

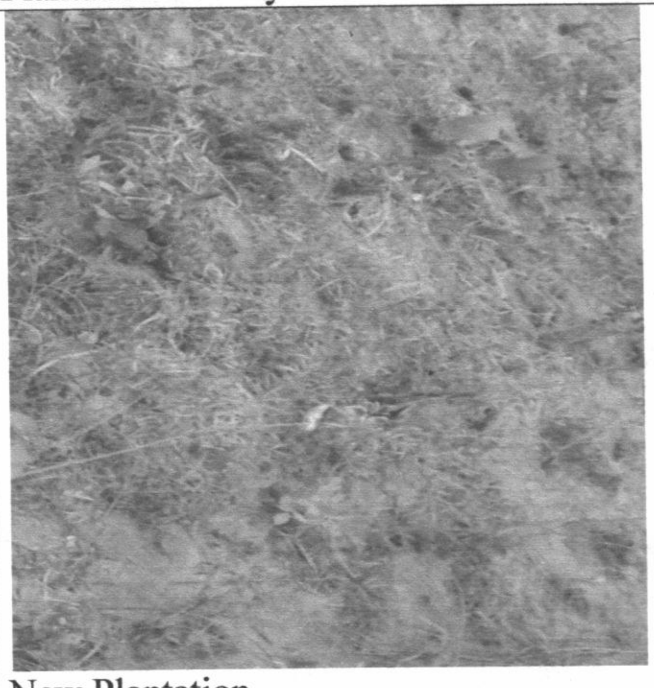

New Plantation

ANNEX-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1183588/सी–3/ वायु /5 G.9/2022 दिनाँक: 1/11/2022

1-11-2022
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स स्टार माईन्स,
गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर,
तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर।

यह कि मैसर्स स्टार माईन्स, गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर जोकि Mining of River Bed Sand/Bajri/Boulder-7,56,000 Cubic Meter/Annum के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स स्टार माईन्स, गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर का मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–201/2022 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के आदेश दिनांक–21.04.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–24.06.2022 को किया गया। संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार:–

i. A DG set of 25 KVA was available near the camp office for power backup. The DG set is equipped with acoustic enclosure, but not provided with adequate stack height as per norms.
ii. The unit has installed one borewell for meeting water requirement. No flow meter is installed at borewell. The unit has applied for NOC from Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Govt. of Uttar Pradesh on 31.12.2021, which is yet to be granted. The PP has not obtained permission for ground water as per EC before starting of mining operation.
iii. As per the condition of EC, four Ambient Air Quality monitoring stations were supposed to be established in the core zone as well as a buffer zone. However, no such air quality monitoring station was found established/ operational at the site.

इकाई में वर्तमान में ऑफ सीजन के कारण खनन कार्य दिनांक–01.07.2022 से बन्द है।

संयुक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां निम्नवत है:–

1. PP should be directed to obtain NOC from CGWA/SGWA for withdrawal of ground water. PP should also install electromagnetic flow meter at tubewells and maintain proper log book of fresh water withdrawal.
2. The PP should provide adequate stack height in DG sets.
3. The PP should provide adequate green belt in mining area.
4. Necessary direction should be issued by UPPCB to PP for ensuring compliance of EC condition and Consent conditions in totality.

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ.ए. सं.–201/2022 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक–25.08.2022 में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"...... 5. The report of the Joint Committee contains observations regarding serious violations of consent conditions and environmental norms by the Project Proponent- M/s Star Mines with recommendations for remedial action.......

6. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from the respondents and accordingly direct issuance of notices alongwith copies of the application and report of the Joint Committee to the respondents No. 1 to 5 (1) State of Uttar Pradesh through its Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, (3) UPPCB, (4) District Magistrate, Saharanpur and (5) the Project ProponentM/s Star Mines, Gata No. 1, Village, Barthkorsi, Tehsil-Behat, DistrictSaharanpur, Uttar Pradesh by E-mail requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application and observations/recommendations made in the report of the Joint Committee within two months at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF........."

इकाई द्वारा SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति सं0–843/Praya/SEIAA/5989-5653/2022, दिनाक–26.03.2021 की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के पत्रांक–658/सी/एस.आर.ई./एस–53/2022, दिनांक–16.08.2022 एवं दिनांक–25.08.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं है। उद्योग को दिनांक–31.12.2025 तक सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जिसकी शर्त संख्या–2, 3, 8, 15, 16 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण सहमति वायु की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

यह कि मैसर्स स्टार माईन्स, गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर को दिनांक –31.12.2025 तक सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जिसकी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा हे। उद्योग के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उद्योग द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक–30.12.2021 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों एवं मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैसर्स स्टार माईन्स, गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21/22 के प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः जनहित एवं जनसाधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स स्टार माईन्स, गाटा संख्या–01, बरथा कोरसी, यमुना रिवर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. इकाई द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–201/2022 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश में गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. इकाई द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक–30.12.2021 द्वारा निर्गत सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इकाई द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–201/2022 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. इकाई द्वारा SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति सं0–843/Praya/SEIAA/5989-5653/2022, दिनांक–26.03.2021 की शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. विधि अधिकारी (प्रथम), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के संबंध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

o/c

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

ANNEX-8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H84132/सी-3/ज.ल./556/2022 **दिनांक: 14/11/2022**

पंजीकृत

प्राप्ति संख्या 343
दिनांक 19/11/2022
पत्रावली संख्या 9-53/

सेवा में,

मैसर्स स्टार माईन्स्,
गाटा संख्या-1, यमुना रीवर, ग्राम-बरथा कोरसी,
तहसील-बेहट, जनपद-सहारनपुर।

विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्ठाधारक मैसर्स स्टार माईन्स्, गाटा सं0-1, यमुना रीवर, ग्राम-बरथा कोरसी, तहसील-बेहट, जनपद-सहारनपुर के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक-10.11.2022 के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील डायरी नं0-26439/2022 (Arising out of impugned final judgment and order dated 11.05.2022 in O.A. No. 249/2021passed by the National Green Tribunal) मैसर्स स्टार माईन्स बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26.09.2022 तथा मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील सं.-15/2021 (I.A. No. 22/2022) प्रमोद बनाम उ.प्र. राज्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 एवं ओ0ए0 सं. 249/2021 दलजीत सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.05. 2022 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर की आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या-15/2021 (I.A. No. 22/2022) प्रमोद बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में आदेश दिनांक-09.06.2021 द्वारा गठित कमेटी द्वारा पूर्व में संदर्भित इकाई के विरूद्ध अनुमन्य क्षमता से अधिक खनन हेतु रू0-10,91,10,840/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति की गयी है। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 एवं 11.05.2022 के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), सहारनपुर के पत्र दिनांक-13.10.2022 के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार इकाई द्वारा दिनांक-04.04.2021 से दिनांक-30.06.2021 तक कुल 84 दिवसों में 377778 घन मीटर बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनांक-04.04.2021 से दिनांक-30.06.2021 तक कुल 84 दिवसों हेतु खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा उ.प्र. ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेन्ट से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये 18.0 कि.ली./दिन (State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार) भूगर्भ जल दोहन किया गया है। उक्त इकाई भूजल दोहन की दृष्टि से Environment Compensation rate for illegal extraction of Ground Water रुपये-60/- प्रतिघन मीटर है। इस प्रकार इकाई द्वारा कुल 84 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर की उक्त आख्या दिनांक-10.11.2022 के अनुसार मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 एवं दिनांक-11.05.2022 के अनुक्रम में दिनांक-04.04.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात कुल 84 दिवसों में अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए बिना सहमति प्राप्त किये अवैध खनन हेतु Approach 2-Rs 11,25,70,156/- में इकाई द्वारा पूर्व में जमा की गयी अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-7,70,000/- को समायोजित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये-11,18,00,156/- व अनुमन्य क्षमता से अधिक खनन हेतु क्षतिपूर्ति Rs. 10,91,10,840/- एवं भूगर्भ जल दोहन हेतु Rs. 90,720/- अर्थात **कुल रुपये-22,10,01,716/-_(रुपये बाईस करोड़ दस लाख एक हजार सात सौ सोलह मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गयी है। आपकी इकाई के संबंध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ.ए. नं.-201/2022 दलजीत सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी. विचाराधीन है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 एवं दिनांक-11.05.2022 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स स्टार माईन्स्, गाटा सं0-1, यमुना रीवर, ग्राम-बरथा कोरसी, तहसील-बेहट, जनपद-सहारनपुर पर दिनांक-04.04.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात कुल 84 दिवसों में अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय मानकों का

उल्लंघन मानते हुए बिना सहमति प्राप्त किये अवैध खनन हेतु Approach 2-Rs 11,25,70,156/- में से इकाई द्वारा पूर्व में जमा की गयी अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये–7,70,000/– को समायोजित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये–11,18,00,156/– व अनुमन्य क्षमता से अधिक खनन हेतु क्षतिपूर्ति Rs. 10,91,10,840/- एवं भूगर्भ जल दोहन हेतु Rs. 90,720/- अर्थात **कुल रुपये– 22,10,01,716/-_(रुपये बाईस करोड़ दस लाख एक हजार सात सौ सोलह मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या–701502010002104, आई.एफ.एस.सी. कोड –UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जमा किये जाने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपिः

क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com